



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269435  
CG-DL-E-19012026-269435

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2026/पौष 29, 1947

No. 232]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2026/PAUSHA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

का.आ. 260(अ).—केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “अलीगढ़ विकास प्राधिकरण” (पैन:AAALA0082G) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “निर्धारिती” कहा गया है) को, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11/ 1973) के तहत गठित एक प्राधिकरण, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों से उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11/1973) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 8 /2026/फा. सं. 300195/4/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।